संख्या–2380/8–3–2006–11विविध/2006

प्रेषक,

के.एल. मीना
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2– **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

3– **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 01 जून, 2006**

विषयः **गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियॉ अनुमन्य न किये जाने विषयक शासनादेशों में न्यायघाट एवं अतिथिगृह के निर्माण हेतु शिथिलीकरण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4503/9–आ–1–98, दिनांकः 16–11–98, तद्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–320/9–आ–3–2000, दिनांकः 5–2–2000, शासनादेश संख्या–सी.एम. 124/9–आ–3–2000, दिनांक 31–7–2000 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। शासनादेश संख्या 5–2–2000 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश दिनांक 16–11–1998 द्वारा गंगा नदी तट के दोनों ओर 200 मीटर तक निर्माण के प्रतिबन्ध को धार्मिक स्थलों, आश्रम एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में कतिपय प्रतिबन्धों के साथ शिथिल कर दिया जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 5–2–2000 कालान्तर में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 31–7–2000 द्वारा संशोधित कर दिया गया और यह निर्देशित किया गया कि गंगा नदी तट पर स्थित ऐसे स्थानों जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हों जिनका स्वरूप प्रमुखतः तीर्थ है, उन स्थानों पर मठ, आश्रम–मन्दिर का निर्माण कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य कर दिया गया था। गंगा नदी तट पर न्याय घाट एवं अतिथिगृह के निर्माण हेतु पार्क/क्रीड़ास्थल/खुला क्षेत्र एवं बाढ़ प्रभावित से सार्वजनिक सुविधाओं में भू–उपयोग परिवर्तन का प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 5—2—2000 तथा 31—7—2000 के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्य भी गंगा नदी तट पर अनुमन्य कर दिए जाए। शासनादेश दिनांक 31—7—2000 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

3— गंगा नदी तट पर 200 मीटर की परिधि में कोई निर्माण न करने विषयक प्रतिबन्ध न्यायघाट एवं अतिथिगृह के निर्माण के लिए उपर्युक्त सीमा तक शिथिल किया जाता है। यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त शिथिलीकरण विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक सुविधाओं के प्रश्नगत अतिथिगृह व न्यायघाट के निर्माण के लिए किया जा रहा है और इसे भविष्य में अन्य प्रकरणों में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के.एल.मीना)
सचिव।

संख्या—2380/(1)/8—3—2006—11विविध/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2— उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3— मुख्य अभियन्ता, गंगा, उत्तर प्रदेश, जल निगम।
4— उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
अनुसचिव।